डेली न्यूज
3 जून 2015

एसबीसी आरक्षण विधेयक के लिए बनेगी कमेटी

मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में दिया सुझाव

डेली न्यूज ब्यूरो

जयपुर ▷ 2 जून

एसबीसी को पांच फीसदी आरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करने जा रही है। यह कमेटी कुछ दिनों में ही इसके कानूनी प्रावधान व प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगी और फिर विचार विमर्श करके ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा और फिर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस कमेटी में मंत्रिमंडलीय उप समिति के तीनों सदस्य संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी व खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना के साथ-साथ कार्मिक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता सचिव, विधि सचिव, एएजी व गुर्जर प्रतिनिधि भी रहेंगे।

मंगलवार को सचिवालय में देवनारायण योजनांतर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में गुरुकुल विद्यालय योजना में आवंटित 500 बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की स्कूलों में प्रवेश दिलाने एवं बालिकाओं की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 को प्रवेश देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव को स्वीकृत छात्रावासों, आवासीय विद्यालय, कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आई.टी.आई. आदि के शेष निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा कराने तथा बजट के लिए प्रस्ताव भिजवाने का कहा जिससे बजट आवंटन किया जा सके।

बैठक में अधूरे निर्माण कार्यों की प्रभावी जांच के लिए जिला स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी व संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि व गुर्जर प्रतिनिधि को शामिल करते हुए कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया गया। मंत्रीमंडलीय उप समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के सुझाव को मानते हुए एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

गुर्जर आंदोलनकारियों से मुकदमे होंगे वापस

बैठक में सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर संवेदनशीलता दिखाई। इसके लिए संबंधित अफसरों की कमेटी की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में तय हुआ कि उप समिति की माह के पहले बुधवार को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सारे मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

छात्रवृत्ति वितरण 30 तक

बैठक में छात्रवृत्ति समय पर दिलाने, छात्रावासों की स्थिति सुधारने की चर्चा करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है वहीं 30 जून तक सभी पात्र को छात्रवृत्तियों का वितरण कर दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की संचालित गतिविधियों की जांच करने के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए।

अभी तक नहीं मिली पिछले साल स्वीकृत स्कूटी

जयपुर। विशेष पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए स्वीकृत हुई स्कूटी अभी तक नहीं मिल सकी है, जबकि नया शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से शुरू होने वाली है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सीकर स्थित श्री कल्याण राजकीय स्नातक महाविद्यालय और झुंझुनूं स्थित श्री रामेश्वर आर.पो. राजकीय स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों को छात्राओं को स्कूटी का वितरण अभी तक नहीं होने पर 17 सीसीए का नोटिस जारी किया है। आयुक्तालय के अनुसार अभी तक इन दोनों नोडल कॉलेजों ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी वितरण सुनिश्चित नहीं करवाया है, जबकि 31 मार्च तक स्कूटी वितरण करने के निर्देश दिए थे।

दैनिक भास्कर
3 जून 2015

एसबीसी आरक्षण के प्रारूप के लिए समिति

जयपुर | विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) को 5 फीसदी आरक्षण देने से संबंधित विधेयक का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इसमें कार्मिक, विधि, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी और विशेष पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की शासन सचिवालय में हुई बैठक में लिया गया।

उधर, अब हर माह के पहले बुधवार को गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ देवनारायण योजनाओं की समीक्षा होगी। यह निर्णय मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बैठक के दौरान लिया।

दैनिक नवज्योति
3 जून 2015

पांच सदस्यीय कमेटी तय करेगी बिल का प्रारूप

गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कमेटी का जल्द होगा गठन

न्यूज/नवज्योति, जयपुर

गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए अधिनियम का प्रारूप बनाने के लिए कमेटी गठित होगी। कमेटी में कार्मिक विभाग, विधि विभाग, अतिरिक्त मुख्य न्यायिकवक्ता एवं सामाजिक न्याय विभाग अधिकारियों के साथ विशेष पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। कमेटी शीघ्र ही बैठक कर आरक्षण देने के संबंध में नियम उपनियम व प्रक्रिया आदि पर विस्तार से चर्चा करेगी, जिसे विधानसभा में पारित कराकर नवीं सूची में जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार को भिजवाया जाएगा। शासन सचिवालय में मंगलवार को चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी, ■ शेष पेज-7

पांच सदस्यीय कमेटी...

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना के नेतृत्व में गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों के अलावा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने प्रतिनिधि मण्डल के साथ मौजूद थे। बैठक में चिकित्सा मंत्री राठौड़ ने कहा कि विशेष पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए वादों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी बैठकों का एजेण्डा तैयार कर गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ [illegible]।

[illegible]। बैठक में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों पर विभिन्न आंदोलनों में दर्ज हुए मुकदमों के मामलों को वापस लेने के संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग पुलिस अधिकारियों के साथ शीघ्र ही अलग से बैठक कर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में दो मृत [illegible] के परिवारों को नियमानुसार शीघ्र सहायता दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

इससे पहले बुधवार को बैठक : उप समिति ने देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर समय पर पूरी करवाएं। बैठक में निर्णय लिया कि देवनारायण योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रतिमाह प्रथम बुधवार को गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक होगी। बैठक में अधूरे निर्माण कार्यों की प्रभावी जांच के लिए जिला स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी व संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि व गुर्जर प्रतिनिधि को शामिल करते हुए कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया गया। समिति ने चलते हुए एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की संचालित गतिविधियों की जांच करने के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए।

समाचार जगत

3 जून 2015

प्रादेशिक जगत

'विशेष योग्यजनों को स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार संकल्पित'

जयपुर (कासं)। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से विशेष योग्यजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध करा कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है ताकि वे विकास की मुख्य धारा में जुड़कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। सराफ मंगलवार को झालाना डूंगरी स्थित सामुदायिक केन्द्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विशेष योग्यजनों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराने की योजना (ए.डी.आई.पी.) के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बाईजी की कोठी सहित सम्पूर्ण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बाईजी की कोठी क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण किये जाने के साथ ही माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने, सड़कों का निर्माण करने सहित अन्य विकास के कार्य करवाए गए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किए जाने पर रोबस्टी चौराहा से अपेक्स सर्किल तक के झालाना बाईपास रोड को 100 फीट का ही रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि 100 फीट का रोड चौड़ा किये जाने पर यदि बाईजी की कोठी क्षेत्र के लोग विस्थापित किये जायेंगे तो उन्हें इसी क्षेत्र में बसाया जायेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने विशेष योग्यजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर संसदीय क्षेत्र में शारीरिक रूप से 80 प्रतिशत विकलांग प्रत्येक पात्र विशेष योग्यजन को मोटराईज्ड ट्राई साइकिल के लिए सांसद मद से 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। अंत में क्षेत्रीय पार्षद चंद्र भाटिया ने अतिथियों एवं आगुन्तकों का आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की ओर 27 विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर, ट्राई साइकिलें, श्रवण यंत्र, बैसाखी, कैलीपर, छड़ी सहित कुल 46 उपकरण प्रदान किए गए।

डेली न्यूज

3 जून 2015

विशेष योग्यजनों को उपकरण वितरित

झालाना डूंगरी स्थित सामुदायिक केंद्र में मंगलवार को विशेष योग्यजनों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि सरकार योग्यजनों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। कार्यक्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने 27 विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर, ट्राई साइकिलें, श्रवण यंत्र, बैसाखी, कैलीपर, छड़ी सहित कुल 46 उपकरण प्रदान किए। सराफ ने कहा कि रोबस्टी चौराहा से अपेक्स सर्किल तक के झालाना बाईपास रोड को 100 फुट का ही रखा जाएगा। वहीं इस रोड चौड़ाई में बाईजी की कोठी क्षेत्र के लोग विस्थापित होंगे तो उन्हें इसी क्षेत्र में बसाएंगे। मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि जयपुर संसदीय क्षेत्र में शारीरिक रूप से 80 प्रतिशत विकलांग प्रत्येक पात्र विशेष योग्यजन को मोटराईज्ड ट्राई साइकिल मिलेगी।

दैनिक भास्कर

3 जून 2015

सराफ ने जरूरतमंदों को दी ट्राइसाइकिल व व्हीलचेयर

जयपुर | उच्च शिक्षामंत्री कालीचरण सराफ ने मंगलवार को बाईजी की कोठी झालाना में स्थित कच्ची बस्ती में जरूरतमंद और विशेष जनों को ट्राइसाइकिल वितरित की इसके साथ ही व्हीलचेयर और बैसाखी भी बांटी गईं। सुनने में परेशानी महसूस करने वाले कुछ जरूरतमंदों को सुनने की मशीन का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सराफ के साथ सांसद रामचरण बोहरा और पार्षद चंद्र भाटिया और सर्वेश लोहिया भी मौजूद थे।

राजस्थान पत्रिका
3 जून 2015

जयपुर, बुधवार, 03.06.2015 rajasthanpatrika.com
पोस्टल रजि. न. JaipurCity/009/2015-17

आरक्षण विधेयक के लि

मंत्रिमंडलीय उप समिति व गुर्जरों की बैठक में हुआ फैसला

जयपुर @ पत्रिका
patrika.com/city

विशेष पिछड़ा वर्ग के पांच प्रतिशत आरक्षण के लिए नए विधेयक का मसौदा बनाने के लिए सात सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी में महाधिवक्ता, प्रमुख विधि सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, कार्मिक सचिव के साथ तीन गुर्जर प्रतिनिधि शामिल होंगे। ड्राफ्ट के लिए दस दिन में तैयारी शुरू हो जाएगी। विधेयक पास कराने को जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। सचिवालय में मंगलवार को मंत्रिमण्डलीय उप समिति और गुर्जर प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह गुर्जर समेत अन्य प्रतिनिधि एवं अफसर मौजूद थे।

एक माह में मुकदमों की छंटनी

बैठक में गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए एक माह में कमेटी बनाने पर भी सहमति बन गई। समिति मुकदमों की समीक्षा कर इन्हें वापस लेने पर निर्णय करेगी। साथ ही, पिछली सरकार में स्वीकृत छह पीएचसी और सात आवासीय विद्यालय खोलने व इस मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक अब प्रत्येक माह के बुधवार को करने के निर्णय भी हुए।

सस्ता । आरबीआई ने अल्पकालि
र उम्मीद ब

50 लाख के लोन प

पंजाब केसरी
3 जून 2015

विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित

गुर्जर आरक्षण

-मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा
- कैबिनेट सब कमेटी बैठक

जयपुर,(कासं)। गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में अलग से लाए जाने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित होगी। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव, विधि सचिव, कार्मिक सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता और गुर्जर प्रतिनिधि को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा।

मंगलवार को यहां सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी शामिल हुए। बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि आरक्षण विधेयक के लिए कैबिनेट सब कमेटी के सुपरविजन में कमेटी गठन का निर्णय किया है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। अब ये बैठक हर माह के पहले बुधवार को होगी। वहीं विधेयक कमेटी की पहली बैठक अगले 10 दिन में बुलाई जाएगी। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी, खाद्यमंत्री हेमसिंह भड़ाना, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह, कैप्टन हरप्रसाद सहित सामाजिक न्याय, विधि एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

▸ शेष पृष्ठ ● पर

छात्रावास की जांच जिला स्तर पर : देवनारायण योजना के तहत बने छात्रावासों के निर्माण कार्य में छात्र संख्या अनुपात में कमी की शिकायत की जांच और अधूरे छात्रावासों का निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्माण के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी में जिला कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन और गुर्जर प्रतिनिधि शामिल होंगे। गुरुकुल योजना के तहत विद्यार्थियों के दाखिले में बालिकाओं की संख्या अब 150 की जगह 200 होगी। देवनारायण योजना के तहत स्वीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति मामले का भी भौतिक सत्यापन ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर पर किया जाएगा।

गुर्जरों ने कहा मुकदमें जल्द वापस लो : बैठक में गुर्जर प्रतिनिधियों ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमें जल्द वापस लेने की मांग की। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने केस वापस लेने की मांग रखी और सहमति बनने की भी बात कही। हालांकि बैठक में एसीएस गृह ने मुकदमें एकत्र कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय की बात कही।